



**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1014/BR/5/2023-RO-RNC

दिनांक : 12.12.2024

सेवा मे,

1 **डॉ नवल किशोर चौधरी**  
जिलाधिकारी,  
जिला - भागलपुर  
कचहरी चौक, भागलपुर  
भागलपुर- 812001 (बिहार)  
ई मेल :dm-bhagalpur.bih@nic.in


2 **श्री आनंद कुमार**  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला - भागलपुर  
अदमपुर, भागलपुर  
भागलपुर- 812001 (बिहार)  
ई मेल :sp-bhagalpur-bih@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री जुगेश उराँव, पिता स्व० सहदेव उराँव जिला भागलपुर -, बिहार उनकी पत्नी की हत्या कर दिए जाने के बावजूद कहलगाँव थाना द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2024 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई/की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

  
भवदीय  
(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)  
उप निदेशक/ Deputy Director  
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

**श्री जुगेश उराँव**  
पिता स्व० सहदेव उराँव  
ग्राम - उराँव टोला जगदीशपुर,  
पोस्ट - अकबरपूर, थाना - कहलगाँव  
जिला - भागलपुर, बिहार - 813203  
Mob No- 8126253119

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1014/BR/05/2023-RO-RNC

श्री जुगेश उराँव, पिता स्वं सहदेव उराँव, ग्राम उराँव टोला- जगदीशपुर, पो- अकबरपुर, थाना- कहलगाँव, जिला- भागलपुर, बिहार के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि : 18.11.2024, 03:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री जुगेश उराँव, पिता स्वं सहदेव उराँव, ग्राम उराँव टोला- जगदीशपुर, पो- अकबरपुर, थाना- कहलगाँव, जिला- भागलपुर, बिहार से दिनांक 13.02.2023 की शिकायत आयोग को प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया है कि उसको उनकी पत्नी श्रीमती राजमुनि देवी दिनांक 23.08.2022 को कोर्ट में गवाही देने के लिए भागलपुर गयी थी किन्तु उसके बाद आजतक घर वापस नहीं आई। इस संबंध में उसने कहलगाँव थाना को उक्त घटना की सूचना भी दी लेकिन पुलिस द्वारा इस प्रकरण प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर (बिहार) एवं जिलाधिकारी, भागलपुर (बिहार) को दिनांक 04.08.2023 को नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी।

3. मामले में उक्त अधिकारियों की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तदुपरान्त, आयोग द्वारा दिनांक 18.11.2024 को आयोग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर तथा जिलाधिकारी, भागलपुर के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर (बिहार) एवं जिलाधिकारी, भागलपुर (बिहार) शामिल हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर (बिहार) एवं जिलाधिकारी, भागलपुर (बिहार) ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 5 अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और वर्तमान में पाचों अभियुक्त जमानत पर है। पुलिस ने गुमसुदा महिला के तलाश हेतु मुख्य स्थानों पर गुमशुदा की तलाश हेतु पर्वे चशपा किया और नियम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और इस संदर्भ में सूचना देने वाले को 25000 का पुरस्कार भी घोसित किया है

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi

Contd...P/2



प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं:-

1. मामले में एस सी/एस टी (POA) एक्ट के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
2. पुलिस द्वारा पीड़ित को ढूँढने में और अधिक तत्परता से कार्रवाई की जाए।
3. पुलिस विभाग अपने गुमशुदा की खोज में लगी टीम में किसी जनजाति समाज की महिला अधिकारी को सम्मिलित किया जाए।
4. इस तरह के अन्य जनजातीय समाज से संबंधित प्रकरणों में अधिक तत्परता दिखाई जाये जिससे उचित समयाविधि में जनजाति समाज के गुमशुदा को सही समय पर खोजा जा सके।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के समयाविधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

*आशा लकड़ा*

**(डॉ. आशा लकड़ा)**  
**सदस्य**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

डॉ. आशा लकड़ा /Dr. Asha Lakra  
सदस्य /Member  
भारत सरकार /Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली /New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES  
Case File No.- NCST/ATY-1014/BR/05/2023-RO-RNC

List of participants

**Officers from National Commission for Scheduled Tribes**

Dr. Asha Lakra (In Chair)  
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena  
Research Officer

Shri Vivekanand Shukla  
Investigator

Shri Rahul Yadav  
Legal Consultant

**Officers from O/o Collector & District Magistrate District – Bagalpur and  
Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, District – Bagalpur**

Dr. Nawal K. Chouhdary  
District Magistrate, Bagalpur

Shri Anand Kumar  
SSP, Bagalpur